कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
क्षेत्रीय कार्यालय, पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर 208005, उ0प्र0
ISO 9001-2008 CERTIFIED/आईएसओ 9001–2008 प्रमाणित
REGIONAL OFFICE : PANCHDEEP BHAVAN : Sarvodaya Nagar : Kanpur- 208005 U.P.
Tel.-0512-2219171-72-73, Fax.-0512-2224061, Email- rd-up@esic.nic.in

चिंता से मुक्ति

नई क्षमादान योजना(एमनेस्टी स्कीम)-2014

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ऐसे सभी नियोजकों/बीमित व्यक्तियों, जिनके विरूद्ध 31/12/2013 तक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 की धारा 84,85 एवं 85-क के अन्तर्गत आपराधिक मामलें दायर किये गयें हैं अथवा अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रकरण चल रहा है, को वापस लेने हेतु एक अवसर प्रदान कर रहा है।

क- अधिनियम की धारा 84,85 एवं 85-क के अन्तर्गत दायर मामले

(अ)बीमित व्यक्तियों के विरूद्ध धारा-84 के अन्तर्गत दायर वाद, बिना किसी ब्याज के, अधिक भुगतान की गई राशि को जमा करने पर तथा भविष्य में गलत घोषणा न करने के आश्वासन पर, वापस ले लिया जाएगा।

(ब) अधिनियम की धारा 85,85-क के अन्तर्गत नियोजक के विरूद्ध दायर वाद निम्न शर्तो पर वापस होंगेः-

1. नियोजक को वाद अवधि का अपने अभिलेखों के आधार पर नियोजक व कर्मचारी अंशदान दोनों का पूर्ण भुगतान ब्याज सहित करना होगा, तत्पश्चात निर्धारण अधिकारी के समक्ष सम्बन्धित अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा तथा भविष्य मे निगम को नियमित रूप से अनुपालन करने का आश्वासन देने पर कोई क्षतिभार नही लिया जाएगा।

(ख). अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत दायर मामलों की वापसी हेतु

1. नियोजक सक्षम न्यायलय मे याचिका दाखिल कर अपना विवाद न्यायालय के बाहर निपटाने की अनुमति प्राप्त करेगा एवं

2. उपरोक्त पैरा (ब) 1 के अनुसार अनुपालन करेगा।

यह योजना 28/1/2014 से 27/1/2015 तक की अवधि के लिए है। अन्य जानकारी हेतु क्षेत्रीय निदेशक,कानपुर, दूरभाष संख्या-0512-2217957,निदेशक नोएडा दूरभाष संख्या-0120-2584445, संयुक्त निदेशक(प्रभारी), लखनऊ दूरभाष संख्या -0522-2745175, एवं संयुक्त निदेशक(प्रभारी)-वाराणसी दूरभाष संख्या-0542-2500115 पर संपर्क करे।

योजना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.esic.uttarpradesh.org पर देखें ।

Sd-

(आर.के.नायक)
क्षेत्रीय निदेशक